समय और बदलावः गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति और नए आपराधिक कानून

द हिंदू

पेपर-II (भारतीय राजव्यवस्था)

एक संसदीय समिति मौजूदा आपराधिक कानूनों को बदलने वाले तीन विधेयकों पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के काफी करीब जान पड़ती है। गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने विपक्षी सदस्यों द्वारा इन विधेयकों का अध्ययन करने के लिए थोड़ा वक्त दिए जाने की मांग करने के बाद इस मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार करने की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में असहमति की कम से कम तीन टिप्पणियां दर्ज हैं, जो मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता की जगह लेने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के पाठ से संबंधित हैं। तीसरे विधेयक, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बदले में आने वाली है, पर सर्वसम्मति मालूम होती है। बस इसी 24 अगस्त को विचार-विमर्श शुरू करने और सिर्फ 12 बैठकें आयोजित करने के बाद, इन विधेयकों की जांच की पर्याप्तता को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं। इन नए आपराधिक संहिताओं को पेश करने का पूरा मकसद कानून के उस निकाय में एक बड़ा बदलाव लाना है, जिसके मिजाज को जरुरत से ज्यादा औपनिवेशिक माना जाता है। इन विधेयकों के किसी भी सार्थक अध्ययन में देश भर के विभिन्न हितधारकों के बीच व्यापक विचार-विमर्श को शामिल किया जाना चाहिए। आदर्श रूप से, समिति को देश भर के विभिन्न हिस्सों में बैठकें आयोजित करनी चाहिए और विभिन्न अनुच्छेदों के विस्तृत विवरण पर अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों के अलावा उन वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की राय सुननी चाहिए जो वास्तव में संहिता में निर्धारित कानून और प्रक्रिया पर काम करते हैं।

इस रिपोर्ट को परखने के लिए थोड़ा और समय की मांग इसलिए उठी क्योंकि इस मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार किए जाने से कुछ ही दिन पहले अंग्रेजी में वितरित किया गया था और इसकी हिंदी प्रति सिर्फ बैठक की पूर्व संध्या पर ही उपलब्ध करायी गई थी। समिति की अगली बैठक 6 नवंबर को होनी है। मौजूदा स्थगन को समिति के सदस्यों को मसौदा रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए थोड़ा और वक्त दिए जाने से जुड़े एक संक्षिप्त अंतराल से ज्यादा कुछ नहीं मानना नासमझी होगी। बल्कि इसे समिति को दिए गए वक्त को कुछ और महीनों तक बढ़ाने के एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। सरकार इन विधेयकों को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पेश करने और उन्हें पारित कराने के लिए उत्सुक जान पड़ती है। इतनी जल्दबाजी करने की कोई वजह नहीं है। यह तर्क दिया जा सकता है कि नए कानूनों के काफी हिस्से पुरानी संहिताओं की नकल मात्र हैं और उन्हें विधायिका में पेश करने से पहले स्थायी समिति द्वारा एक अध्ययन ही पर्याप्त हो सकता है। हालांकि, कई ऐसे बिंदु हैं जिनकी गहराई से पड़ताल करने की जरुरत हो सकती है: मसलन, नई परिभाषाओं में दुरुपयोग, अगर कोई हो, की गुंजाइश, 'नफरत फैलाने वाले भाषण' जैसे नए अपराधों को शामिल करने की वांछनीयता तथा अपराधिक न्याय प्रणाली में प्रक्रियात्मक सुधार की और गुंजाइश है या नहीं।

संसदीय समिति क्या है?

संसदीय समिति संसद सदस्यों (सांसदों) की एक समिति है जो सदन के सदस्यों में से निर्वाचित या नियुक्त होते हैं या अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामित होते हैं। संसदीय समितियों की अवधारणा ब्रिटिश संसद में उत्पन्न हुई । ये समितियाँ लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के निर्देशन में कार्य करती हैं और अपने निष्कर्षों और सिफारिशों को संबंधित सदनों में प्रस्तुत करती हैं। संसदीय समितियाँ अपना अधिकार संविधान से प्राप्त करती हैं ।

- **अनुच्छेद 105:** संसद के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि।
- **अनुच्छेद 118:** संसद का प्रत्येक सदन इस संविधान के प्रावधानों, इसकी प्रक्रिया और इसके व्यवसाय के संचालन के अधीन, विनियमों के लिए नियम बना सकता है।

संसदीय समितियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है?

अपनी प्रकृति के अनुसार, भारत में संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं:

- स्थायी समितियाँ एक निश्चित अवधि के लिए गठित की जाती हैं और लगातार काम करती हैं। स्थायी समितियों की 6 श्रेणियाँ हैं : वित्तीय समितियाँ, विभागीय स्थायी समितियाँ, जाँच करने वाली समितियाँ, जाँच और नियंत्रण करने वाली समितियाँ, सदन के दिन-प्रतिदिन के कामकाज से संबंधित समितियाँ, और हाउस-कीपिंग या सेवा समितियाँ।
- तदर्थ समितियाँ एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं और अपना कार्य पूरा करने के बाद भंग कर दी जाती हैं। तदर्थ समितियों की 2 श्रेणियां हैं : जांच समितियां और सलाहकार समितियां।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसमें अपराध के रूप में राजद्रोह मौजूद नहीं है।
2. इसमें पुरानी धाराओं को परिवर्तित कर दिया गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

Que. With reference to the Indian Judicial Code Bill, 2023, consider the following statements:

1. Sedition as an offense does not exist in it.
2. Old sections have been changed in this.

Which of the statements given above is/ are correct?

(a) Only 1

(b) Only 2

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

उत्तर : c

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : 'हाल ही में सरकार के द्वारा भारत के आपराधिक कानूनों में आमूल-चूल परिवर्तन हेतु बिल प्रस्तावित किए गए हैं।' इनके मुख्य प्रावधानों की चर्चा करते हुए इनकी प्रासंगिकता को रेखांकित कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण:

- उत्तर के पहले भाग में सरकार के द्वारा भारत के आपराधिक कानूनों में हालिया प्रस्तावित सुधारों की चर्चा करें।
- दूसरे भाग में इन विधेयकों के प्रावधानों की चर्चा करें तथा इनकी प्रासंगिकता को जांचे।
- अंत में आगे की राह दिखाते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।